(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2528–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक निगरानी 46/अ–27/2006–07.

———

रामराजा सिंह तनय भूपतसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम ककरदा तहसील व
जिला छतरपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

मुलायम सिंह तनय भूपतसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम ककरदा तहसील व
जिला छतरपुर म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, आवेदक.
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/3/15 को पारित)

.....

यह निगरानी आवेदक द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 46/अ–27/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23–7–14 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक मुलायमसिंह द्वारा दिनांक 2–9–13 को विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत इस आशय का आवेदन दिया कि ग्राम ककरदा तहसील व जिला छतरपुर के खाता क्रमांक 170 सर्वे क्रमांक 172, 399 आदि कुल किता 29 कुल रकबा 5.142 हैक्टर व खाता क्रमांक 162 सर्वे नं. 85, 86 आदि कुल किता 6 रकबा कुल 5.689 हैक्टर उनके एवं आवेदक के शामल खाते की है जिसमें उसका हिस्सा 3/4 एवं आवेदक

रामराजा का हिस्सा 1/4 है । यह भूमियां शामिल खाते की होने के कारण लगान जमा करने व कृषि संबंधी कई प्रकार की अड़चनें पैदा होने लगी हैं, इसलिए भूमि का पृथक बटवारा किया जाये । विचारण न्यायालय ने इस आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया तथा आपत्तियां आमंत्रित कीं एवं राजस्व निरीक्षक से फर्द बटवारा बुलाया गया । इस दौरान आवेदक ने दिनांक 30.9.03 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि आवेदक को न्यायहित में 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए जबकि अनावेदक उसे केवल 1/4 हिस्सा देना चाहता है । अतः प्रश्नाधीन भूमियों का बराबर–बराबर बटवारा किया जाये । विचारण न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य व कथन लिए एवं आवश्यक कार्यवाही तथा पुराने अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत आदेश दिनांक 14–6–04 द्वारा 5.507 हैक्टर भूमि अनावेदक को तथा 5.249 हैक्टर भूमि आवेदक को बटवारे में प्रदान की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसें अपर कलेक्टर ने दिनांक 23–7–14 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की एवं विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया व प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करते हुए निर्देश दिए कि वे उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–7–14 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश संभावनाओं पर आधारित है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता । अपर कलेक्टर द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि संवत 2003 से 2020 तक उभयपक्ष के पिता भूपतसिंह के नाम पर दर्ज थी । संवत 2023 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अनावेदक ने 1/2 हिस्सा भूमि अपने स्वयं के नाम तथा 1/2 हिस्सा भूमि पर पिता भूपतसिंह का नाम दर्ज करा लिया । पिता के फोत होने पर वारिसाना में 3/4 भाग अपने नाम तथा 1/2 हिस्सा आवेदक के नाम दर्ज करा दिया । अनावेदक ने उक्त कार्यवाही कूट रचित तरीके से कराई है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि भूपतसिंह की है जिस पर दोनों भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा था । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण अभिलेख देकर

तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर बराबर–बराबर भूमि का बटवारा किया है, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि पिता के नाम की भूमि का 1/2 भाग अनावेदक के नाम किस प्रकार आया इसका कोई स्पष्टीकरण अनावेदक द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में दिया गया है । अंत में उनके द्वारा कहा गया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है, जिसे निरस्त कर प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि की है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । उनके द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर विचारण न्यायालय में उपलब्ध है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं पुराने अभिलेखों के आधार पर दोनों पक्षों को भूमि बटवारे में प्रदान की । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें । प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश न्यायिक प्रतीत नहीं होता है । अभिलेख से यह प्रमाणित है कि आलोच्य भूमि संवत 2003 से 2023 तक आवेदक एवं अनावेदक के पिता भूपतसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है । भूपतसिंह के नाम दर्ज भूमि में अनावेदक का नाम 1/2 हिस्से में किस आधार पर दर्ज हुआ इसका कोई प्रमाण अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं पुराने अभिलेखों के आधार पर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार न होते हुए उसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने त्रुटि की है । अनावेदक का यह तर्क कि प्रकरण के प्रत्यावर्तन के उपरांत उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि जब प्रकरण में

उपलब्ध सामग्री से प्रकरण का निराकरण किया जा सकता हो तब उसे प्रत्यावर्तित करना ना तो न्याय की दृष्टि से उचित है और ना ही आवश्यक । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है वह स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं अधीक्षक, भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर